



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद  
कार्यालय: - 7वां एवं 8वां तल इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में पंजीकृत (निर्धारित श्रेणी) से निम्नलिखित कार्यो हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई-प्रक्योरमेंट की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से प्राप्त एवं देखे जा सकते है। निविदा के साथ मांग की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के नाम बन्धक हो, स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य है। बिना जमानत धनराशि के निविदा अवैध मानी जायेगी। निविदा प्रकाशन की तिथि से दो दिन बाद निविदा मूल्य यूको बैंक मुख्य शाखा सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद खाता संख्या 00320204000449 एवं सिंडिकेट बैंक मुख्य शाखा चन्द्रशेखर आजाद मार्केट, सिविल लाइन्स इलाहाबाद खाता संख्या 86131130000011 में मूल्य जमाकर रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अथवा ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार, उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा। निविदा खोले जाने की तिथिस को यदि अवकाश होगा, तो निविदा अलग कार्य दिवस में खोली जायेगी।

निविदा विवरण निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित कार्य का विवरण, उनके आगणन लागत, निविदा की जमानत धनराशि, निविदा मूल्य निर्धारित श्रेणी तथा समय अवधि आदि का विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

**शर्तें:**

1. निविदा शुल्क जमा की रसीद एवं जमानत धनराशि की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं निविदा स्वीकृत होने की स्थिति होने में कार्यादेश (Work Order) निर्गमन से पूर्व जमानत धनराशि की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुये उन्हें ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही तथा बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 को नियमानुसार जब्त करने अथवा कटौती करने की कार्यवाही किया जाना तथा अभिलेख कूटरचित पाये जाने की दशा में एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. निविदा शर्तों के विरुद्ध निविदा डालने वाले ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
3. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद अथवा ऑनलाइन फीस जमा करने की साक्ष्य की प्रति निविदा के साथ स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा धनांक (रु लाख में)	जमानत धनराशि (रु लाख में)	कार्य अवधि	ई-प्रीक्योर मेट सोल्यूशन में ई-निविदा जारी करने का दिनांक	ई-प्रीक्योरमेंट सोल्यूशन में ई-निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ई-प्रीक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा ई-निविदा की प्राइस बिड खोलने की तिथि तथा समय	निविदा मूल्य (वैट चार्ज सहित)	निर्धारित श्रेणी
1	कालिन्दीपुरम आवासीय योजना में वसुधा विहार/मौसम विहार भारती 11 के0वी0 फीडर का निर्माण एवं सबस्टेशन विस्तार कार्य	262.64	15.14	12 माह	08-07-2017	29-07-2017	बाद में सूचित किया जायेगा।	3000 + 5% (Vat)= 210 3150	टू-बिड सिस्टम पद्धति
2	उपाध्यक्ष कैम्प कार्यालय में 200 एम्पियर के क्यूबिकल पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	2.41	.25	01 माह	08-07-17	10-07-17 अपराहन 2.00 बजे तक	10-07-17 अपराहन 4.00 बजे	200 + 5% (Vat)= 210	निर्माता/अधिकृत फर्मों एवं "ए" श्रेणी विद्युत लाइसेन्स धारक

**नोट-**

1. अन्य नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
2. निविदा शर्तों के विरुद्ध निविदा डालने वाली फर्मों की जमानत धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
3. उक्त निविदा हेतु निर्माता/अधिकृत फर्मों द्वारा भाग लिया जायेगा, इनके लिये पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
4. अन्य नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध हैं एवं अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी अधीक्षण अभियन्ता-विद्युत के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
5. जी0एस0टी0 दिनांक 01-07-2017 से प्रभावी है, जिसके अनुसार उक्त कार्य में जो भी टैक्स होगा उसे फर्म द्वारा देय होगा।

(गुडाकेश शर्मा)

सचिव/अपर सचिव

दिनांक- 06 जुलाई, 2017

पत्रांक- 06 /स0/अ0स0/वि0प्रा0/2017

नोट—

1. उक्त निविदा हेतु जमानत की धनराशि अधिशाषी अभिन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/एन0एस0एस0/बैंक गारण्टी (राष्ट्रीयकृत बैंक) के रूप में जमा करना होगा। यदि किसी निविदा के साथ समुचित जमानत धनराशि जमा न होने पर ऐसी निविदायें खोलते ही पुनः सील कर दी जायेगी। निविदा शुल्क जमा रसीद स्कैन की जानी है। ड्राफ्ट के रूप में तत्काल उसी समय जमा कराना होगा, किन्तु इस शर्त के साथ कि ड्राफ्ट ई-निविदा में स्कैन कापी उपलब्ध हो।
2. क्रमांक-01 की निविदा हेतु विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन से जारी विद्युत लाइन्स धारक एवं प्राधिकरण में पंजीकृत फर्म ही प्रतिभाग कर सकती है।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
4. निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होगी।
5. शेष समस्त कटौतियों लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार की जायेगी।
6. निविदा की दरों में कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
7. कार्यालय अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में डाली/खोली जायेगी।

प्रतिलिपि—